

तारीख हुक्म

शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। लिहाजा प्रार्थीया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामिल की उपरोक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे तथा आदेश 39 नियम (3)(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे तथा अप्रार्थीगण के पेश होने की स्थिति में बहस करने में असफल रहने की स्थिति में अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधन कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 9/1/25 को पेश हो।

उपरखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

09/1/25

पत्रावली पेश की जा चुकी है। अन्तरिम निषेधाज्ञा के तहत अप्रार्थीगण को पेश करने के लिए आदेश पारित किया गया है। पत्रावली 9/1/25 को पेश की जा चुकी है। पुनश्च इतना लिखना आवश्यक समझते हैं कि उपरोक्तानुसार वकील श्री अणु वकील श्री ने अप्रार्थीगण पर Not press का अंका का मिशन किया है। अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के मध्य शान्तिपूर्ण हो चुका है। अब अप्रार्थीगण को नहीं चलाना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण के मिशन के द्वारा वकील श्री का अंका अतः अप्रार्थीगण का प्राप्ति पर Not Press में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली लिखल सुना देकर नमस्कार का है।

NOTEPRES
दि

उपरखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)